

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 08/2020- 682

राँची, दिनांक- 29.10.2020

कोर्ट नोटिस

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,
बिरनी।

विषय:- शिकायतकर्ता अनोखी देवी, ग्राम-विशुनपुर, पंचायत- मंझिलाडीह,
प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह से प्राप्त शिकायतपत्र पर सुनवाई के
सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शिकायतकर्ता अनोखी देवी, ग्राम-विशुनपुर,
पंचायत-मंझिलाडीह, प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह द्वारा प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समूह
के जनवितरण प्रणाली दुकानदार के विरुद्ध राशन कार्ड में दर्ज यूनिट से कम राशन देने सम्बन्धी
शिकायत-पत्र आयोग के समक्ष दर्ज कराया गया था।

मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-06.11.2020 को 2.30 बजे अपराहन में
सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि एवं समय में आप स्वयं आयोग कार्यालय में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विभागासभाजन

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।